

जवाहरलाल वीरहा

बनाम

निवासी वीरहा

किस्म मुकदमा : 88, 89, 92A, 188 R.T.A.

प्रकरण संख्या : 14ए / 16

<p>गरीब हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इतिहास जज नम्बर व गरीब अहमाक जो हुस हुकम की गमील में जासी हुय हो।</p>
------------------	---

<p>12-06-2017</p>	<p>राज्य सरकार की ओर से आयोजित न्याय आपकें द्वारा 2017 अभियान के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र, जाखोडा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के परदादा कन्हैयालाल जी के कब्जे काहेल की ग्राम कैथून, में हाल सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 23 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा कुल 3 कित्ता की 10 बीघा 18 बिस्वा आरजी स्थित थी, जो संवत् 2033-2036 के राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान भवरलाल, गंगाधर, लालू, आँकार के नाम सममाग से दर्ज है। सेटलमेन्ट के बाद नवीन खसरा नम्बर 65 रकबा 1.68 हेक्टर कयम किये जिसमें वादीगण के दादा लालू आत्मज कन्हैयालाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जबकि लालू जी का उक्त आरजी में 1/4 हिस्सा निहित है। अतः वादीगण को विवादित आरजी के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन अन्य राजस्व दरस्तावेजों सहित संवत् 2033-2036 व 2072-2075 पेश की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना अनुरूपस्थित रहने से उनके विरुद्ध ऐकपक्षीय कार्यवाही असमल में लाई गई।</p> <p>इसने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दरस्तावेजों का आधीपान्त अवलोकन अध्ययन किया। अतः नकल जमाबन्दी संवत् 2033-2036, 2072-2075 व मिलान क्षेत्त्रफल के तुलनात्मक अध्ययन से वाद वादी स्वीकार कर ग्राम लाहुर्या कैंथून, पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाहुर्या, जिला कोटा की आरजी खसरा नम्बर 65 रकबा 1.68 हेक्टर में से वादी क्रम 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी क्रम 3 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हिस्से का पत्रा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाहुर्या, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर मिलवाने जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।</p> <p>निर्णय संवत् द्वारा आज दिनांक 12.06.2017 को ग्राम जाखोडा, तहसील लाहुर्या, जिला कोटा में न्याय आपकें द्वारा 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।</p> <p>प्रमाणित अधिकारी</p> <p>उपस्थित आधिकारी दिनांक 12-06-2017 पत्रावली पेश हुकम की गमील में जासी हुय हो।</p>
-------------------	---

1.	जवाहरलाल आत्मज डाले जी जालि लश्करी मुतक जालिये कायम मुकाम	1/1
	बालबंद आत्मज जवाहर लाल मुतक जालिये कायम मुकाम	1/1-3
	राजेंद्र, युवराज, संतोष बाई प्रियराज बालबंद जी	1/1-3
	डीवाबाई पत्नी बालबंद जी	1/1-3
2.	कमला बाई, शालि बाई, कौशल्या बाई, मदनलाल प्रियराज जवाहरलाल जी	1/2-1/5
	महाराजलाल आत्मज डाले जी मुतक जालिये कायम मुकाम	2/1-2/9
	रत्नीराम, बाबूलाल, रामनिवास, प्रमोद, राजेंद्र, मोहन बाई, मन्नी बाई, कन्याणी बाई, रामकन्या बाई प्रियराज महाराजलाल जी	3.
	छोटेला आत्मज डाले जी मुतक	3/1
	रामनीपाल आत्मज छोटेला जी	3/2
	मदनलाल आत्मज छोटेला जी मुतक जालिये कायम मुकाम	3/2/1
	निर्मल कुमार आत्मज मदनलाल जी	3/3
	शीला बाई पुत्री छोटेला जी	4.
	रघुनाथ आत्मज डाले जी मुतक जालिये कायम मुकाम	1/1-4/3
	नवल, तुलसा बाई, इन्दा बाई प्रियराज रघुनाथ जी	4/4
	रुपजी आत्मज रघुनाथ जी मुतक जालिये कायम मुकाम	4/4-1-3
	बबलू, संतोष बाई, पतीला बाई प्रियराज रुपजी जी	4/4/4
	दिकल प्रियराज रुपजी जी नाबालिग जालिये वली भाई बबलू आत्मज रुपजी जी जालि लश्करी निवासीगण लाडपुर केंद्र तहसील लाडपुरा जिला कोटा (बादीगण)	
	बनाम	
1-2.	निराही, शाना प्रियराज आकार जालि लश्करी	3/1.
3.	भवरलाल आत्मज कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जी मुतक जालिये कायम मुकाम	3/1/1.
	मोतीलाल आत्मज भवरलाल मुतक जालिये कायम मुकाम	3/1/1/1
	प्रमोद आत्मज प्रमोद	3/1/1/2
	शालि बाई पत्नी प्रमोद	3/1/1/3
	मना बाई पुत्री प्रमोद पत्नी किशोरीलाल जालि लश्करी निवासीगण राम लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा	3/1/1/4
	रतनलाल, बाबूलाल, राजेंद्र, रामकल्याण प्रियराज मोतीलाल जी जालि लश्करी निवासीगण राम लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा	3/2-5
	शीला बाई पुत्री प्रमोद जालि लश्करी निवासी गंधी नगर कोटा	3/2/1-4
	कसरीलाल, जानकीलाल, मोतीलाल, मनोहरलाल प्रियराज रामलाल जालि लश्करी	3/2/5
	शीला बाई बेवा रामलाल जी जालि लश्करी निवासीगण राम लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा	3/2/6
	कन्या बाई पत्नी रतनलाल पुत्री रामलाल जालि लश्करी निवासी राम कलेट तहसील खानपुर जिला कोटा	3/2/7
	इन्दा बाई पुत्री रामलाल पत्नी हेमराज जालि लश्करी निवासी खोरी बावडी कोटा जंखन कोटा	3/3
4.	गंगाधर आत्मज आकार जी जालि लश्करी मुतक जालिये कायम मुकाम	4/1
	कौशल्या आत्मज गंगाधर जी जालि लश्करी मुतक जालिये कायम मुकाम	4/1/1
	मनोज आत्मज डीरालाल जी जालि लश्करी मुतक जालिये कायम मुकाम	4/1/1-2
	सुरेश, लोकेश प्रियराज भूकलाल जी जालि लश्करी निवासीगण राम लाडपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा	4/1/1-2



आधिकारी कलेक्टर
आधिकारी एवं
आधिकारी

दावा बाबत : 88,89,92A,188 RTA

सुकदमा नम्बर : 14A/16

निर्णय दिनांक : 12.06.2017

न्याय आपकें द्वार-2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखा के आधोपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 12-06-2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री महनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम लाडपुरा कैम्प, पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आरजी खसरा नम्बर 65 रकबा 1.68 हेक्टर में से वादी क्रम 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पत्रा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 12.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



वाद के खर्चे

वादी		जाल	
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अदवाही के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर के लिये फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निवार्ह-व्यय	
5. साक्षियों के लिये निवार्ह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कम्प्लेनर की फीस		6. कम्प्लेनर की फीस	

महनलाल प्रतिहार
(उपखण्ड अधिकारी, कोटा)
पीठासीन अधिकारी